उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट पिटिशन नम्बर 1816 वर्ष 2007 (एम/एस)

देवेन्द्र दत्त उनियाल व अन्य ..... याचिकाकर्ता

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट/पुनर्वास प्रबन्धक, टिहरी बांध परियोजना नई टिहरी व अन्य ..... प्रतिवादी

श्री बी0 पी0 नौटियाल, याचीगण के अधिवक्ता

श्री के0 पी0 उपाध्याय, एडिशनल सी.एस.सी. प्रतिवादी संख्या 01

श्री यू0 के0 उनियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं शोभित सहारिया, टी.एच.डी.सी. की ओर से अधिवक्ता।

दिनांक 15.04.2010

माननीय बी0 एस0 वर्मा, जज

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति की एक रिट की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि उत्तरदाताओं को आदेश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 05 को आवंटित भूमि/भूखण्ड के समान ही याचिकाकर्ताओं के पुनर्वास के लिये भी आवंटित कर उनका पुनर्वास करें।

3. याचिकाकर्ताओं की शिकायत, जैसा कि रिट याचिका के पैरा संख्या 12 में कहा गया है कि यह है कि श्री पुष्कर सिंह चौहान (प्रतिवादी संख्या 05) जिनका घर भी उसी स्थिति में था और सीवरेज उपचार संयंत्र के पास स्थित था, उन्हें मुआवजा दिया गया और कुछ अन्य ग्रामीणों को भी मुआवजा दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ताओं के घर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बहुत करीब हैं, इसके बावजूद उनके दावे पर विचार नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रतिवादी सख्या 05, जिसका घर याचिकाकर्ताओं की तुलना में अधिक दूरी पर स्थित था, याचिकाकर्ताओं ने पहले ही निर्माण कर लिया है।

4. प्रतिवादी संख्या 01 के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के बजाय याचिकाकताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

5. इससे पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका संख्या 1092/2006

(एम/बी) दायर की गयी थी, जिसमें परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने और प्रतिवादी संख्या 01 को याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का आदेश देने और निर्देश देने की प्रार्थना की गयी थी, जो संलग्नक 04 के रूप में संलग्न है। उस रिट पर निर्धारित समय के भीतर तर्कपूर्ण आदेश दिया गया।

6. याचिकाकर्ता की शिकायत उस रिट याचिका में थी कि नई टिहरी में जहां प्रतिवादी संख्या 03 ने बेहद अस्वाथ्यकार स्थिति में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के खराब रखरखाव के कारण प्रदूषण का कारण बन रहा है। इस रिट याचिका के तथ्य और परिस्थिति में इस न्यायालय की डिविजन बैंच ने 31.08.2006 को याचिकाकर्ता को टी0एच0डी0सी0 के अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया था कि यदि टी0एच0डी0सी0 ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया है तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का खराब रखरखाव उक्त गांव के निवासियों के लिये प्रदूषण फैलाने वाली बीमारियों का कारण न बन सके। यदि, किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रतिवादी संख्या 03 को प्राथमिकता दी जाती है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण टी0एच0डी0सी0 द्वारा किया गया है तो सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिनिधित्व पर निर्णय लें और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्वच्छ तरीके से बनाये रखें ताकि गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी कोई प्रदूषण न हो।

7. रिट याचिका के परिशिष्ट संख्या 09 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व 14.11.2006 को टी0एच0डी0सी0 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण जल निगम द्वारा किया गया था और 29.05.2006 को उक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उत्तरांचल जल संस्थान को सौंप दिया गया था।

8. याचिकाकर्ता के अनुसार पुनर्वास निदेशक द्वारा दिनांक 04.09.2003 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अन्य भूमि व भवनों के किसानों को मुआवजा देने की संस्तुति भी की गयी थी।

9. परिशिष्ट संख्या 01 के अवलोकन से पता चलता है कि किसानों के पुनर्वास का कोई उल्लेख नहीं है।

10. याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 01 से सम्पर्क करने के बजाय अपनी शिकायत के निवारण के लिये इस न्यायालय से सम्पर्क किया। एकमात्र प्राधिकारी प्रतिवादी सख्या 01 है, जो उनकी शिकायत का निवारण कर सकता है।

11. मैं रिट क्षेत्राधिकार में याचिकाकर्ताओं को ऐसी राहत देने का इच्छुक नहीं हूं। हालांकि, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 के समक्ष अभ्यावेदन के

लिये स्वतंत्र होंगे। यदि अभ्यावेदन दिया जाता है, तो रिट याचिका के पैरा 12 में दिये गये कथनों के मध्येनजर उस पर विचार किया जाएगा और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन अवधि के भीतर अधिमानतः शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा।

12. उक्त निर्देश और टिप्पणी के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

13. सभी लंबित आवेदनों को तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

(बी0 एस0 वर्मा, जज)

15.04.2010